पत्रांक–10/स्था0 व्यय आवं0–24/2025 – 48/3118

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
संथाल परगना, दुमका।

राँची, दिनांक– 29-07-2025

विषय :– स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–2029–भू–राजस्व, लघु शीर्ष–102–सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य, उपशीर्ष–15–सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यो का पुनरीक्षण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में वेतन इकाई में **₹52,000/- (बावन हजार रूपये)** मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत कार्यालय, बंदोबस्त पदाधिकारी, संथाल परगना, दुमका के पत्रांक–42–I, दिनांक–16.04.2025 द्वारा WP(S) No.-3218/2021 उमाकान्त तिवारी बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–11.08.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–133/दा0को0, दिनांक–20.03.2025 के द्वारा निर्गत वेतन पर्ची के आलोक में श्री उमाकान्त तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (राजस्व), दुमका का दिनांक–17.12.1996 से 14.11.2000 (बिहार अवधि) तक का बकाया राशि के भुगतान हेतु ₹52,000/- (बावन हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभागीय पत्रांक–2264/वि0, दिनांक–22.09.2004 की कंडिका (I) के आलोक में "15 नवम्बर, 2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि" इकाई में राशि उपबंधित नहीं होने के कारण उक्त राशि की निकासी हेतु वेतन इकाई में राशि आवंटित की जा रही है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 338/बजट, दिनांक–28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. यह आवंटन श्री उमाकान्त तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (राजस्व), दुमका का दिनांक–17.12.1996 से 14.11.2000 (बिहार अवधि) तक का बकाया राशि के भुगतान हेतु आवंटित किया जा रहा है।

कृ0पृ0उ0

5. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. राशि की निकासी से संबंधित व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभागीय बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय।

7. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक—15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।

8. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,
29/7
(चन्द्रशेखर)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— 48/31/10 राँची, दिनांक— 29-07-2025

प्रतिलिपि :—महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त एवं जिला कोषागार पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 29/7/25

सरकार के सचिव।

d/all section/sec 10/allotment (lalit)